झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक–30-05-2014

संख्या–ख०नि०(विविध)–176/2012–1050 /एम0, राँची, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 (अधिनियम संख्या–67/1957) की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2007 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2010 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :–

1. (क) यह नियमावली '' झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 कहलायेगी।

   (ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **नियम–2 में उप नियम–28 के बाद निम्नांकित जोड़ा जायेगाः–**

   (29) "आशय का पत्र'' (एल ओ आई) से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र पर स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति का पत्र।

   (30) "खनन योजना"/"खनन की स्कीम" से अभिप्राय है, लघु खनिज के खनिज रियायत धारक की ओर से मान्यताप्राप्त अर्हक व्यक्ति (आर क्यू पी) द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई खनन योजना/खनन की स्कीम तथा इसमें प्रगतिशील तथा अन्तिम खान बन्दी योजना भी शामिल है;

   (31) "वैज्ञानिक खनन" से अभिप्राय है, खनन योजना/स्कीम/ समाशोधन के अनुरुप खनन कार्य करना।

   (32) पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र।

3. **नियम–5 में निम्नांकित उप नियम–5 जोड़ा जायेगाः–**

   5 (4) ''पूर्व संस्तुति'' के स्थान पर ''स्वतंत्र पूर्व संसूचित सहमति'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5 (5) जिन मामलों में विधि/उप विधि/न्याय निर्णय के आलोक में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वहाँ सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण प्राप्त करने के उपरांत ही खनन पट्टा/अनुज्ञापत्र स्वीकृत/नवीकृत किया जाएगा।

4. **नियम–9 (1) में निम्नांकत अन्तः स्थापित किया जायेगा**

नियम–9 (1) (ग) जिन मामलों में विधि/उप विधि/न्याय निर्णय के आलोक में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वहाँ सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत किया जाएगा।

5. **नियम–11 में निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

11 **(क)** खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए दाखिल प्रत्येक आवेदन के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख के 120 दिनों के भीतर आशय का पत्र निर्गत किया जायेगा

(ख) खनन पट्टा के प्रत्येक आवेदन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा।

(ग) खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए दाखिल आवेदन पत्र पर 120 दिनों के अन्दर आशय का पत्र (एल०ओ०आई०) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः कालतिरोहित होकर अस्वीकृत माना जाएगा।

"परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे के हस्तान्तरण के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।'

6. **नियम–12 में निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–**

(1) राज्य में बालूघाटों की बन्दोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निलामी की प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के लिए की जाएगी।

(2) शहरी क्षेत्रों में अवस्थित बालूघाटों की बन्दोबस्ती नगर निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा निलामी की प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) तक के लिए की जाएगी।

(3) जिन मामलों में विधि/उप विधि/न्याय निर्णय के आलोक में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी, वहाँ सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही बालू खनिज का निष्कासन एवं प्रेषण किया जाएगा।

परन्तु यह कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी/नगर निकाय के प्रभारी पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी द्वारा भी अपने जिला के सभी बालूघाटों के लिए एक समेकित आवेदन पत्र तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।

(4) बालूघाटों की बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र जिला परिषद/नगर पंचायत/नगर निगम को एवं शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

7. **नियम–30 के द्वितीय परन्तुक को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"परन्तु यह कि ईट मिट्टी निकालने वाला/ईट भट्ठा मालिक यदि विहित तरीके से स्वामिस्व की समेकित राशि का पूर्ण भुगतान कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्व नियम 54 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।"

8. **नियम–31 (1) के उपरांत निम्नांकित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा:–**

" परन्तु यह कि सड़क, रेल, पुल, डैम, नहर आदि सदृश्य निर्माण में उपयोग के लिए मिट्टी एवं मोरम खनिज का अग्रिम स्वामिस्व का पूर्ण भुगतानोपरान्त अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा 3000 घनमीटर की अधिकतम सीमा की वाध्यता नहीं रहेगी।

परन्तु यह भी कि जिन मामलों में विधि/उप विधि/न्याय निर्णय के आलोक में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वहाँ खनिज का उत्तोलन एवं प्रेषण सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाएगा।

9. **नियम–24 में संशोधन :–**

नियम–24 (5) के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे :–

"परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे के हस्तान्तरण के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।"

10. **नियम–34 में संशोधन :–**

नियम–34 (4) के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे :–

"परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत खुली खान अनुमति दिये जाने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।"

11. **अध्याय 4 के बाद अध्याय 4A निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :–**

अध्याय – 4 A
(वैज्ञानिक खनन एवं पर्यावरण संरक्षण)

34 A (1) खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम/समाशोधन के तहत किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति (आर0क्यू0पी0) का निबंधन।

34 B (1) राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यक्ति इस नियम के प्रयोजन के लिए 'मान्यताप्राप्त अर्हक व्यक्ति' के रूप में तब तक निबंधित नहीं किया जाएगा जब तक वह,–

(i) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या किसी विधि के अधीन स्थापित या किसी विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3), की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गयी खनन अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष कोई योग्यता न रखता हो; तथा

(ii) उपरोक्त खण्ड (i) के अधीन अपेक्षित डिग्री या योग्यता प्राप्त करने के बाद खनन या खनिज प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने का पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव न रखता हो।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन यथा विहित योग्यता तथा अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति 1000/– रुपए (एक हजार रुपए) की शुल्क के साथ मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति (आर0 क्यू0 पी0) के रूप में निबंधन के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उपयुक्त समझे, मान्यता प्रदान कर सकता है या इनकार कर सकता है तथा जहाँ मान्यता से इनकार किया जाता है, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा तथा आवेदक को उसे सूचित करेगा।

(3) उपरोक्त उप नियम (2) के अधीन मान्यता प्राप्त आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए निबंधित किया जाएगा तथा उसके उपरांत आवेदन करने पर यथा लागू शुल्क के भुगतान के उपरांत नवीकृत किया जा सकेगा।

(4) मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति के रूप में निबंधन के उपरांत उस व्यक्ति द्वारा किसी कदाचार की दशा में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद किसी भी समय उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान के बाद अभिलिखित कारणों से भी मान्यता नवीकरण करने से इनकार किया जा सकता है।

मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति द्वारा खनन योजना की तैयारी।

34 C (1) इस नियमावली के अधीन निबंधित अथवा खनन योजना खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 ख के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति (आर0क्यू0पी0) के द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति की सूची विभाग में रखी जाएगी एवं उसे विभाग के वैबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

खनन योजना/खनन की स्कीम के अनुमोदन/रूपान्तरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी।

34 D (1) राज्य सरकार निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करने वाले अपने ऐसे पदाधिकारी को राज्य में लघु खनिज के खनन के लिए खनन योजना/खनन का स्कीम अनुमोदन/ समाशोधन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, जो:–

(i) न्यूनतम खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा उच्चतर योग्यता धारण करता हो यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3), की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था सहित केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा या उच्चतर योग्यता यथा खनन अभियंत्रण में स्नातक या भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या भारत में किसी विश्वविद्यालय या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी कोई समकक्ष योग्यता रखता हो तथा

(ii) मूल शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद खनन क्षेत्र में, खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा की दशा में 10 वर्ष, भूतत्ववेता की दशा में 8 वर्ष एवं खनन अभियंता की दशा में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो।

खनन योजना की अपेक्षाएं।

34 E (1) प्रत्येक खनन पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विहित लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2010 के मानक प्रारूप एवं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति द्वारा तैयार तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत पदाधिकारी से सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम के अनुरूप खनन कार्य किया जाएगा।

(2) जहां खनन कार्य इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व से प्रारम्भ हो, तो ऐसे पट्टाधारी/अनुज्ञापत्रधारी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए इन

नियमों के प्रारम्भ से 90 दिन की अवधि के अन्दर खान समापन योजना सहित खनन योजना/खनन की स्कीम भी प्रस्तुत करेगा।

(3) इन नियमों के अधीन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक खनन योजना या खनन की स्कीम के साथ 1000/- रुपये की वापस न की जाने वाली शुल्क जमा की जाएगी। -?

(4) प्रत्येक खनन योजना/खनन की स्कीम में सभी योजनाएं, अनुभाग क्रम संख्यांकित या उचित रूप से सूचीबद्ध होगी। पट्टाधारी/अनुज्ञप्ताधारी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा नियुक्त खनन अभियंता या प्रबन्धक या भूतत्ववेता, विभाग के खनन अभियंता/भूतत्ववेता द्वारा समय-समय पर स्थल पर सत्यापन करने के लिए सम्यक् रूप से स्वीकृत ऐसी योजना तथा अनुभाग की प्रतियां खनन पट्टा क्षेत्र/अनुज्ञापत्र क्षेत्र के कार्यालय स्थल पर रखी जाएगी।

(5) एक बार अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम तब तक खनन पट्टा की अवधि के लिए वैध होगी जब तक कि पट्टा अवधि के दौरान पुनः संशोधित तथा अनुमोदित नहीं की जाती है।

12. नियम-55 के उप नियम-3 में उल्लेखित "नियम-55" के स्थान पर "नियम-54" प्रस्थापित किया जायेगा।

13. **नियम-67 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

"वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो खनन् पट्टा/अनुज्ञापत्र क्षेत्र से बाहर लघु खनिज का व्यवसाय करता है, वह झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत निबंधित होगा तथा उक्त नियमावली के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(अरूण)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 1060 /एम०, राँची, दिनांक- 30-06-2014

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

सरकार के सचिव।